

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज.

क्रमांक: एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 5701

दिनांक : 26/07/2022

बजट आवंटन आदेश-42

वित्त विभाग (व्यय-III) की आई.डी. संख्या 172200817 दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा जारी अनुमोदन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-24 :

**Purchasing/Hiring of Patrolling vehicles for forest protection and wildlife management (a)**

Purchasing of Motor cycles for front line field staff for protection of forests.में वन्यजीव एवं वन सुरक्षा हेतु अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present value of forest land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

APO Item No. 24 : Purchasing/Hiring of Patrolling vehicles for forest protection and wildlife management (a)			
Purchasing of Motor cycles for front line field staff for protection of forests.			
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Budget Allotment	
		Phy. Targets No.	Total Amount @ 0.83333 lacs per (Motor cycles 125 cc)
1	उप वन संरक्षक, अजमेर	5	4.16665
2	उप वन संरक्षक, नागौर	4	3.33332
3	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	1	0.83333
4	उप वन संरक्षक, अलवर	3	2.49999
5	उप वन संरक्षक, जयपुर	4	3.33332
6	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	2	1.66666
7	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	5	4.16665
8	उप वन संरक्षक, झालावाड़	4	3.33332
9	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	4	3.33332
10	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), के.एन.पी. भरतपुर	5	4.16665
11	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जैसलमेर	2	1.66666
12	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	1	0.83333
13	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर	2	1.66666
	योग	42	34.99986

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14( )ए.पी.ओ. /2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules,2018(CAF rules).के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 3 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 4 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 5 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 6 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे। आवंटित राशि में समस्त कर सम्मिलित हैं। अतः इसके अतिरिक्त कर आदि के पेटे अन्य कोई व्यय न किया जावे।

- 7 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 8 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 9 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 10 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 11 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 12 मोटर साईकिल क्रय में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, तत्संबंधी नियमों, परिपत्रों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 की पालना किया जाना सुनिश्चित करे।

Sharma  
(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
राजस्थान, जयपुर। 01/07/22

क्रमांक: एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./2022-23/ 5702-26

दिनांक : 26/07/2022

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 4 मुख्य वन संरक्षक -अजमेर/बीकानेर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/विभागीय कार्य मण्डल जयपुर/वन्य जीव सवाई माधोपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 5 उप वन संरक्षक- अजमेर/नागौर/हनुमानगढ़/अलवर/जयपुर/झुंझुन/चित्तौड़गढ़/झालावाड़/डूंगरपुर/विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर/वन्य जीव जैसलमेर/वन्य जीव उदयपुर।
- 6 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 7 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

(अभिषेक शर्मा)

उप वन संरक्षक (कैम्पा),  
राजस्थान, जयपुर। 01/07/22